

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

फैक्स

सेवा में,

निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।  
सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ।  
सभी सिविल सर्जन, बिहार।  
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।  
अधीक्षक, सभी अनुमंडलीय अस्पताल।  
उपाधीक्षक, सभी अनुमंडलीय अस्पताल।  
निदेशक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्थानीय औषधालय।  
सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी।  
सहायक निदेशक फायलेरिया, बिहार, पटना।  
अपर निदेशक-सह-नियंत्री पदाधिकारी, मलेरिया/कुष्ठ एवं यक्ष्मा।  
सभी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी।  
निदेशक, टी0बी0डी0सी0, पटना/दरभंगा।  
सभी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, बिहार।  
अधीक्षक, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, बेतिया।  
अधीक्षक, लेडी एलगीन जनाना अस्पताल, गया।  
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, गया।  
अवर सचिव, मुख्यालय, स्वास्थ्य विभाग।  
राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना।  
संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना।  
अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर।

पटना, दिनांक:-30-3-12

विषय:-वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्गत आवंटन के विरुद्ध बचत राशि दिनांक-31.03.2012 तक प्रत्यर्पण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभाग द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराये गये आवंटन के आलोक में उपशीर्षवार वेतनादि एवं अन्य इकाईयों में व्यय के विरुद्ध अपने-अपने जिलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से उपशीर्षवार प्राप्त कर समेकित रूप में बचत राशि का प्रत्यर्पण पूर्ण औचित्य के साथ दिनांक-31.03.2012 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि ससमय बचत राशि को विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रत्यर्पित किया जा सके। दिनांक-31.03.2012 के बाद प्राप्त कराये गये प्रत्यर्पण की गयी राशि की जिम्मेवारी आप पर होगी।

नोट-बिना पूर्ण औचित्य के प्रत्यर्पण नहीं भेजे जाय।

विश्वासमानजन

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।